

# श्रम अधिकार से तात्पर्य किसी भी कार्यस्थल पर श्रमिकों को प्राप्त होने वाले मानव अधिकारों से है।

## श्रमिकों के कुछ मूल अधिकार निम्नलिखित हैं:

- श्रमिकों की यूनियन बनाने का अधिकार
- सामूहिक रूप से सौदा करने का अधिकार
- जबरदस्ती काम करने या बंधुवा मजदूरी से मुक्त रहने का अधिकार
- बाल मजदूरी ना करने का अधिकार
- समान कार्य के लिए समान भुगतान प्राप्त करने का अधिकार
- एक स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्यस्थल पाने का अधिकार
- जरूरत आधारित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार

उपरोक्त सभी अधिकारों का समर्थन भारत के संविधान एवं देश के कानून द्वारा किया जाता है।


## कर्मचारियों के पास अधिकार हैं

पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति का

परिसर में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग से शौचालय एवं नहाने की व्यवस्था का

महिला मजदूर को मजदूरी के साथ प्रसूति की छुट्टी का

सामाजिक सुरक्षा जैसे भविष्य निधि, ग्रैच्युइटी एवं स्वास्थ्य लाभ का



**सुरक्षित कार्यस्थल सुविधा नहीं बल्कि हमारा अधिकार है।**

By:



Centre for Education and Communication (CEC)  
173 A, Khirki Village, Malviya Nagar, New Delhi 110 017  
T: 91 11 29541841 / 29541858 | F: 91 11 29542464  
E: cec@cec-india.org; W: www.cec-india.org

May 2018

Conceived and prepared by: The Information and Feature Trust (TIFT), Lakshmi (Kayyadam), Thondayad, Calicut – 17.

Visual presentation: Amit Tiwari, Retro Volition Inc., New Delhi | amit@retrovolition.com

This poster is part of a project, 'Empowering CSOs for Decent Work and Green Bricks in India's Brick Kilns', in partnership with Prayas and Terre des Hommes (TdH), funded by European Union (EU).

In Partnership with:



terre des hommes  
Help for Children in Need

Funded By:

